धा० ५-६-०९ पृ०सं० 212/08-09

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।

वाद सं0— 212/08—09
बाबू सुन्दर सिंह फाउण्डेशन
बनाम उ0प्र0 सरकार।
धारा—143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट।
ग्राम— शेरपुर लवल, परगना—निगोहां
तहसील—मोहनलालगंज, जिला—लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही मा0 अपर आयुक्त (प्र0) लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.09 के अनुक्रम में उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज के न्यायालय से इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रारम्भ की गई।

वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को सम्मन जारी किया गया, जो वाद तामील पत्रावली पर संलग्न है। किसी प्रकार की कोई आपित्त प्रस्तुत नहीं हुई।

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि बाबू सुन्दर सिंह फाउण्डेशन द्वारा महासचिव श्रीमती बीना सिंह निवासिनी ए—8, लारेन्स टैरेस, हज़रतगंज, लखनऊ द्वारा ग्राम— शेरपुर लवल, परगना—निगोहां, तहसील—मोहनलालगंज, जिला—लखनऊ की गाटा संख्या 1144, 1143, 1146, 1138, 1145, 1159, 1161, 1163, 1114, 1126, 1127, 1128, 1132, 1135, 1149 व 1136 जोकि बाबू सुन्दर सिंह फाउण्डेशन के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंजीनियरिंग कालेज व अन्य डिप्लोमा डिग्री संबंधी सेवायें संचालित करने हेतु निर्माण कार्य किये जाने के कारण उक्त भूमि का उपयोग कृषि रूप से परिवर्तित करकेअकृषिक रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गई हैं। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, मोहनलालगंज, लखनऊ की आख्यानुसार प्रस्तावित गाटों में से 1159 रकबा 0.670हे0, 1163 रकबा 0.063हे0, 1143 रकबा 1.227हे0, 1146 रकबा 0.948हे0, 1144 रकबा 0.152हे0, 1145 रकबा 0.190हे0, 1161 रकबा 0.253हे0 कुल 6 किता कुल रकबा 3.503हे0 में किसी प्रकार का कृषि कार्य, बागवानी कुक्कुट पालन नहीं हो रहा है, बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिये उपरोक्त भवन निर्माणाधीन है तथा गाटे में शेष भूमि का प्रयोग भी अकृषिक है। उक्त भूमि में कोई विवाद संज्ञान में नहीं है। गाटा संख्या 1149 व 1135 सहखातेदार के रूप में अंकित है, परन्तु यह अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रस्तावित नहीं है। उपरोक्त भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। भूमि विकास प्राधिकरण की महायोजना से संबंधित नहीं है। भूमि में नाली, खड़न्जा, ग्राम समाज आदि नहीं हैं प्रश्नगत आराजी भूमिधरी की है। प्रश्नगत भूमि पट्टे की नहीं है और न ही हस्तांतरण हेतु अनुमति की आवश्यकता है। अभिलिखित काश्तकार अनुसूचित जाति का नहीं है। नियम 135(6) के तहत हदबन्दी की आवश्कता नहीं है, फिर भी भू—लेख नियमावली के पैरा 405 के अन्तर्गत शुल्क चालान संख्या 001, दिनांक 03.02.09 को जमा कर दिया गया है। कोई सीमा विवाद नहीं है। प्रश्नगत भूमि ग्राम/नगर पालिका/एल0डी0ए0 की सीमा लखनऊ से 40 किमी0 की दूरी पर है। शुद्ध ग्रामीण होने कारण मानचित्र स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। निर्माण स्थायी प्रकार का है। प्रश्नगत भूमि पर भू—राजस्व बकाया देय नहीं है। अकृषिक घोषित करने

21/6/09

For BABU SUNDER SINGH FOUNDATION
बीना सिंह
General Secretary

Scanned with CamScanner

हेतु कुल 6 किता कुल रकबा 3.503हे0 भूमि प्रस्तावित की जा रही है, जिसकी मा0गु0 64.28 होती है। गैर कृषिक प्रयोजन घोषित करने हेतु आख्या अग्रसारित है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया और प्रार्थी की मौखिक बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है बल्कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग अकृषिक रूप में किया जा रहा है। ऐसी दशा में मौके पर भूमि का उपयोग गैरकृषिक होने के कारण उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, मोहनलालगंज, की आख्या की पुष्टि की जाती है। तदनुसार ग्राम – शेरपुर लवल, परगना–निगोहां, तहसील–मोहनलालगंज, जिला लखनऊ की गाटा संख्या 1159 रकबा 0.670हे0, 1163 रकबा 0.063हे0, 1143 रकबा 1.227हे0, 1146 रकबा 0.948हे0, 1144 रकबा 0.152हे0, 1145 रकबा 0.190हे0, 1161 रकबा 0.253हे0 कुल 6 किता कुल रकबा 3.503हे0 मा0गु0 64.28 को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। अभिलेखों में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मोहनलालगंज, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/6/09

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी/सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 29.06.09 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी/सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

नकल प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 29/06/19
नकल तैयार करने की तिथि: 29/06/19
नकल जारी करने की तिथि: 29/06/19
...: 13-00
...की संख्या: 150 लगभग (...)

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर 29/06/19
उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट
(सदर) लखनऊ।

प्रतिलिपि कर्ता:
मुकाबलाकर्ता:
तिथि:

For BABU SUNDER SINGH FOUNDATION
General Secretary

.063
.042
.105